आदेश की क्रम सं0 और तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह। (Email id :- dccourt.grd@gmail.com) अधिहरण वाद सं0–03/2017 राज्य –बनाम– अनुप कुमार एवं अन्य
1	2
13.09.2019	अभिलेख उपस्थापित। अधीक्षक उत्पाद, गिरिडीह के पत्रांक 808/उ0, दिनांक 30.08.2016 द्वारा उत्पाद वाद सं0–09/15 में जप्त Indica Vista car, Registraion No.-JH 02P 1387 को झारखण्ड उत्पाद अधिनियम की धारा 67 के तहत राजसात करने का अनुरोध किया गया है। अधीक्षक उत्पाद, गिरिडीह के उपरोक्त पत्रांक के साथ संलग्न अनुलग्नक से स्पष्ट होता है कि तत्कालिन निरीक्षक उत्पाद, गिरिडीह को परिभ्रमण के क्रम में सूचक से प्राप्त सूचना के आधार पर Indica Vista car, Registraion No.-JH 02P 1387 से अवैद्य शराब का परिवहन, कारोबार करने पर अभियुक्तों के विरूद्ध उत्पाद वाद सं0–09/15 फरार अभियोग दर्ज किया गया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक 30.09.2016 को अवर निरीक्षक उत्पाद, गिरिडीह द्वारा उक्त वाद का अभियोजन प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न कर अधोहस्ताक्षरी से झारखण्ड उत्पाद अधिनियम की धारा 67 के तहत उक्त वाहन को राजसात कराने हेतु अनुरोध किया गया है। विपक्षी को नोटिस का तामिला कराया गया। तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। नोटिस तामिला के बावजूद विपक्षी द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने के साथ ही न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा गया। सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह द्वारा अपना पक्ष रखा गया तथा उक्त वाहन Indica Vista car, Registraion No.-JH 02P 1387 को झारखण्ड उत्पाद अधिनियम की धारा 67 के तहत् राजसात करने योग्य बताया गया है। **विचारण व निर्णय** सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह एवं सम्पूर्ण अभिलेख के साथ संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन को झारखण्ड उत्पाद अधिनियम की धारा 67 के तहत् राजसात किया जाना न्यायोचित है। **आदेश** उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में अधीक्षक उत्पाद, गिरिडीह द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में झारखण्ड उत्पाद अधिनियम की धारा 67 के तहत् वाहन Indica Vista car, Registraion No.-JH 02P 1387 को राजसात किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। Rahul जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, गिरिडीह। Rahul जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, गिरिडीह।